न्यायालय में श्रीमान् राजस्व मण्डल महोदय, ग्वालियर सर्किट कोर्ट
रीवा (म0प्र0)

निगरानी 35-III-15

अरूण कुमार पिता श्यामसुन्दर तिवारी निवासी ब्यौहारी तहसील ब्यौहारी जिला–शहडोल (म0प्र0)
.... निगरानीकर्ता

बनाम

1. श्यामसुन्दर पिता रामगरीब तिवारी निवासी ब्यौहारी तहसील ब्यौहारी जिला–शहडोल (म0प्र0)
2. अरूण कुमार पिता बाल्मीक प्रसाद गुप्ता निवासी वार्ड नं. 1, मुदरिया, तहसील ब्यौहारी जिला–शहडोल (म0प्र0)
3. विष्णुप्रसाद केशरवानी पिता बृजवासीलाल गुप्ता निवासी वार्ड नं. 2 मुदरिया, तहसील ब्यौहारी जिला–शहडोल (म0प्र0)
4. अजय कुमार पिता परमेश्वरदीन सोनी निवासी ग्राम निपनिया, तहसील ब्यौहारी जिला–शहडोल (म0प्र0)
5. श्रीमती मीना गुप्ता पत्नी नागेन्द्र कुमार गुप्ता निवासी वार्ड नं 13, तहसील ब्यौहारी जिला–शहडोल (म0प्र0)
6. अशोक कुमार शुक्ला पिता स्व. श्री नन्दकिशोर शुक्ला निवासी वार्ड नं. 15, तहसील ब्यौहारी जिला–शहडोल (म0प्र0)
6. प्रमोद कुमार गुप्ता पिता स्व. रामस्वरूप गुप्ता निवासी वार्ड नं 7, तहसील ब्यौहारी जिला–शहडोल (म0प्र0)
8. म0प्र0 शासन तहसीलदार, तहसील ब्यौहारी जिला–शहडोल (म0प्र0)

.... उत्तरवादीगण

क्रमांक 4196
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
दिनांक ________ को प्राप्त

राजस्व निगरानी

विरूद्ध आदेश न्यायालय अपर आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल म0प्र0 वसिलसिले रा0प्र0क्र0– 1/अ74/2013–14 आदेश दिनांक 11-12-2014 निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959

मान्यवर,

मामले का संक्षिप्त विवरण इसप्रकार है कि आवेदक के पिता अनावेदक क्र. 1 श्यामसुन्दर तिवारी है तथा श्यामसुन्दर तिवारी के नाम से सभी पैत्रक भूमियां अनावेदक क्र. 1 के स्वामित्व में दर्ज है जिनका बटवारा अनावेदक क्र. 1 द्वारा अनावेदक के पक्ष में एक अरसे पूर्व हिस्सा बांट किया जा चुका है जिसमें अनावेदक का अपने हक, हिस्सा, स्वामित्व के आराजी के भूभाग पर कब्जा दखल चला आ रहा है मौजा ब्यौहारी स्थित आराजी खसरा नं. 1235 रकवा 2.24 एकड़ जिसमें 16 पेड़ आम, कुआं तथा पुस्तैनी श्मसान की भूमि है चूंकि यह भूमि अनावेदक क्र. 1 के पटटे में दर्ज थी जिसका नाजायज लाभ लेने के उद्येश्य से आवेदक के अन्य सौतले भाई व अनावेदक क्र. 2 से 8 तक अपने नाजायज दबाव व प्रभाव में अनावेदक क्र. 1 जो कि 80 वर्ष के ऊपर के वृद्ध व्यक्ति है उनके माध्यम से उक्त वर्णित आराजी को नाजायज तरीके से 50 लाख रूपयों में विक्रय किया गया । अनावेदकगण भिन्न भिन्न गांव के व्यक्ति है जिससे उक्त वर्णित आराजी का एकसाथ विक्रय तथा एक ही विक्रय पत्र में संयुक्त रूप से विक्रय का पंजीयन नही किया जा सकता। कोई भी अनावेदकगण न तो एक संयुक्त हिन्दू परिवार के व्यक्ति है और न ही एक परिवार के है बल्कि भिन्न–भिन्न जाति व स्थान के निवासी है के द्वारा निगरानीकर्ता के हक, स्वामित्व व कब्जा की आराजी का एक फर्जी व कूटरचित विक्रय पत्र

--2

राजस्व मण्डल न्यायालय मध्यध्यप्रदेश ग्वालियर

राजस्व आदेश अनुवृत्ति पत्र

निग. प्र.क्र./35–III/15 जिला शहडोल

अरूण कुमार आवेदक विरुद्ध श्यामसुन्दर आदि अनावेदकगण

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकार एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
4/3/16	यह निगरानी अपर आयुक्त शहडोल के प्रकरण क्रमांक 1 अ 74/2013–2014 आदेश दिनांक 11–12–2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। प्रकरण संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक के पिता एवं अनावेदक क्रमांक–1 श्यामसुंदर तिवारी द्वारा अन्य अनावेदक क्रं.2 से 8 को ग्राम ब्यौहारी स्थित आराजी खसरा नं. 1235 रकवा 2.24 एकड़ भूमि विक्रय किया जिसके विरुद्ध आवेदक द्वारा व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 के न्यायालय में बंटवारा स्वत्व घोषणा स्थाई निषेध आज्ञा का वाद प्रस्तुत किया जो विचाराधीन है। विक्रीत भूमि के संबंध में नामांतरण का आवेदन पत्र तहसीलदार को केतागण (अनावेदक क्रमांक 2 से 8) द्वारा प्रस्तुत किया गया। आवेदक द्वारा तहसील ब्यौहारी के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत की जिस पर तहसीलदार द्वारा कोई विचार नहीं किया गया। अतः आवेदक द्वारा अपर आयुक्त शहडोल के समक्ष उक्त नामांतरण प्रकरण को किसी अन्य समकक्षीय न्यायालय में स्थानांतरित करने हेतु म.प्र. भू–राजस्व संहिता,1959 की धारा 29 एवं 32 के तहत् आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। अपर आयुक्त द्वारा तहसीलदार ब्यौहारी से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया तथा आवेदक के तर्क सुनकर प्रकरण ग्राह्यता	

(2)

राजस्व मण्डल न्यायालय मध्यध्यप्रदेश ग्वालियर

राजस्व आदेश अनुवृत्ति पत्र

निग. प्र.क्र./35–III/15 जिला शहडोल

अरूण कुमार आवेदक विरुद्ध श्यामसुन्दर आदि अनावेदकगण

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकार एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
4/3/16	के स्तर पर समाप्त कर दिया। अपर आयुक्त के इस आदेश दिनांक 11.12.2014 के विरुद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। प्रार्थी अभिभाषक के तर्क सुने तथा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। इससे स्पष्ट होता है कि अनावेदक क्रमांक–2 लगायत 8 द्वारा तहसीलदार न्यायालय में विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर आवेदक द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई तथा अपर आयुक्त शहडोल के न्यायालय में तहसीलदार ब्यौहारी के न्यायालय में प्रचलित प्र.क्रं. 97/अ–6/2013–14 को किसी अन्य समकक्षीय न्यायालय में अंतरित करने हेतु आवेदन दिया। अपर आयुक्त ने तहसीलदार ब्यौहारी से प्रतिवेदन प्राप्त किया जिसमें तहसीलदार ने सिविल वाद प्रचलित होने का तथ्य माना परन्तु सिविल न्यायालय से कोई स्थगन न होने के कारण प्रकरण के तर्क हेतु निश्चित किया। तहसीलदार ने यह भी माना है कि चूंकि विकेता भूमिस्वामी है जिन्होंने केतागणों के पक्ष में पंजीकृत विक्रय अभिलेख निष्पादित किया है एवं विकेता की ओर से कोई आपत्ति नहीं है। अपर आयुक्त ने तहसीलदार के प्रतिवेदन तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं तर्क सुनने के बाद प्रकरण का अंतरण किया जाना उचित नहीं माना तथा प्रकरण	

राजस्व मण्डल न्यायालय मध्यध्यप्रदेश ग्वालियर

राजस्व आदेश अनुवृत्ति पत्र

निग. प्र.क्र./35–III/15 जिला शहडोल

अरूण कुमार आवेदक विरुद्ध श्यामसुन्दर आदि अनावेदकगण

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकार एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
4/3/16	अग्राह्य कर दिया। इस न्यायालय में प्रार्थी अभिभाषक द्वारा ऐसा कोई आधार प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह प्रकट होता हो कि तहसीलदार द्वारा इस प्रकरण में पक्षपात पूर्ण एवं नियम विरुद्ध कार्यवाही की जा रही हो। जहाँ तक सिविल वाद में प्रकरण प्रचलित होने का तथ्य है इस संबंध में कोई निर्णय होने पर तहसीलदार द्वारा पालन किया जायेगा। चूँकि प्रथम दृष्टया अपर आयुक्त द्वारा दिया गया आदेश उचित होने से उसके विरुद्ध निगरानी ग्राह्य करने का औचित्य नहीं है। अतः निगरानी अग्राह्य की जाती है। (डॉ0 मधु खरे) सदस्य राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश	